बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना–800001

Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994 (Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

संख्याः---------/ बी० एस० एम० एफ० सी०, /   पटना, दिनांकः ---------

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के व्यक्तियों से विभिन्न योजनाओं एवं व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । इच्छुक सुयोग्य अल्पसंख्यक, जो नीचे वर्णित पात्रता रखते हैं, वे लघु ऋण एवं वृहद्ऋण के लिए दिनांक–31.05.2018 के संध्या 5.00 बजे तक अपराहन तक अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं । उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदकों का चयन राज्य सरकार के द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप किया जायेगा। चयन समिति से अनुशंसित / चयनित सूची प्राप्त होने के उपरांत चयनित आवेदकों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा एकरारनामा तथा गारंटी बाण्ड निष्पादित होने के पश्चात् ऋण की राशि का भुगतान किया जाएगा । आवेदकों का चयन निम्नवत् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरीयता क्रम में होगाः–

1. चयन के लिए निर्धारित माप-दण्ड

क्र. सं.	मापदण्ड के बिन्दु	मापदण्ड के उप बिन्दु	अंक	अधिकतम अंक
1.	आवेदक की शैक्षिणिक योग्यता	मैट्रिक पास	05	10
		इण्टरमीडिएट	08	
		स्नातक व उच्चतर शिक्षा प्राप्त	10	
2.	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त	तीन से छः माह का कोर्स	05	15
		छः माह से अधिक एवं बारह माह तक का कोर्स	10	
		बारह माह से अधिक का कोर्स	15	
3.	ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक	–	25	25
4.	कमजोर वर्ग को वरीयता देने हेतु	महिला	05	10
		विकलांग / परित्यक्ता / विधवा	10	
5.	आयु के आधार वरीयता	18-35 वर्ष के आयु वाले	10	10
6.	सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था / संघ / SHG के सदस्य	–	15	15
7.	साक्षात्कार	व्यवसाय की कार्य योजना / पूर्व अनुभव रखने वाले आवेदक / दुकान, व्यवसाय का पंजीकरण / आय-व्यय के ब्यौरे का संधारण एवं अंकेक्षण आदि ।	–	15
		कुल अंक		**100**

2. **आवेदक के लिए निर्धारित पात्रता माप-दण्ड**

(i) आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

(ii) आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ योजना/व्यवसाय करता है ।

(iii) ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे ।

(iv) आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए ।

(v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय का हो । मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

(vi) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न होना चाहिए ।

(vii) ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है ।

(viii) चार पहिये वाहन ऋण के लिए मोटर ड्राईविंग का लाईसेन्स तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाईसेन्स की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

3. **ब्याज दर**

(i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (Moratorium) मानी जायेगी और इस (Moratorium Period) को ब्याज मुक्त रखा जायेगा ।

(ii) इस योजना के निमित्त चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क के राशि लिया जायेगा ।

(iii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जायेगी ।

4. **दण्ड ब्याज**

(i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे वसूली की जायेगी ।

(ii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है, तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी ।

(iii) ऋण की राशि का समय पर भुगतान नहीं करने पर कानुनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

5. **ऋण की वापसी**

लाभार्थियों से 20 त्रैमासिक किस्तों में मूल धन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा ।

6. **गारन्टर/एकरानामा**

(i) ऋणग्रहिता से 1000/- रुपये एकरारनामा, 1000/- रुपये गारन्टी बाउण्ड एवं 30/- रुपये हाइपोथिकेशन एवं 125/- रुपये का शपथ-पत्र (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा ।

(क) 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि:–ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छाया प्रति समर्पित करेंगे ।

(ख) 1,00,001 रुपये से 5 लाख रुपये की ऋण राशि तक:–एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो) / आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी/ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारन्टी बाण्ड निष्पादित करना होगा ।

(ii) ऋण वापसी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 20 उत्तरदिनांकित चेक लिया जायेगा ।

7. **ऋण की स्वीकृति**

(i) निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा । यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्त्ति हेतु सीधे विक्रेता के नाम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

(ii) यदि मशीन/उपकरण/उपस्कर सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा ।

8. **आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश**

(i) लघु ऋण ट्रेड के लिए 2.00 लाख रुपया अधिकतम सीमा निर्धारित है ।

(ii) वृहद्ऋण के ट्रेड के लिए 2.00 लाख से अधिक एवं 5.00 लाख अधिकतम सीमा निर्धारित है ।

(iii) जिले के लिए निर्धारित ऋण राशि का 30% लघु ऋण में तथा 70% वृहद्ऋण में स्वीकृति दी जायेगी ।

(iv) अवांछनीय व्यवसायों यथा शराब या किसी नशे का धंधा, जुआ घर, मानव शरीर व्यवसाय, ब्याज पर राशि देना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना आदि को छोड़कर **आवेदक किसी भी वैध व्यवसाय के लिए आवेदन दे सकते हैं ।**

नोट : आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.minoritywelfare.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निगम मुख्यालय/सभी जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र का नमूना प्राप्त किया जा सकता है ।

(अरशद अजीज)
प्रबन्ध निदेशक

192E \Shahid\2017-18\Portrait-H